

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.12(01)नविवि/चन्दपुरा(सीकर)/2025

जयपुर, दिनांक:—यथा हस्ताक्षरित

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959 की धारा 32 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद द्वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, सीकर की सीमा में अभिष्ट नगरीय क्षेत्र के लिए खसरा नम्बर 1194/529 रकबा 15.1261 है. व खसरा नम्बर 1193/529 रकबा 1.20 है. कुल रकबा 16.3261 है. राजस्व ग्राम चन्दपुरा के नाम से ज्ञात योजना का निर्णय लिया गया है।

इस योजना की सीमायें निम्नानुसार है:—

उत्तर:— 24 मीटर व 60 मीटर प्रस्तावित मास्टर प्लान रोड़ व न्यास भूमि खसरा संख्या 1200/453, 459, 428/914, 1162/517, 518, 524, 525, 1671/527, 528 व निजी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2015/458, 457, 454, 1151/744, 454/915, 1199/453, 1670/527, 1146/527 की भूमि।

दक्षिण:— राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सीकर व न्यास भूमि खसरा संख्या 699/962, 533, 705/963, 735/964 एव निजी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 699, 1196/529, 1784/530, 1783/530, 1914/702, 1209/529, 1917/702, 1916/702, 703, 705, 1195/529 की भूमि।

पूर्व:— राजस्व ग्राम चन्दपुरा न्यास भूमि के खसरा संख्या 740, 739/966, 738/965 व निजी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 742 की भूमि।

पश्चिम:— राजस्व ग्राम चन्दपुरा निजी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 536, 1972/1675, 1973/1675 की भूमि।

उपरोक्त योजना क्षेत्र का विवरण और नक्शा नगर विकास न्यास, सीकर के कार्यालय में उपलब्ध है। तथा किसी भी कार्य दिवस में सायं 03.00 बजे से 5.00 बजे तक देखा जा सकता है। इस योजना का कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 16.3261 हैक्टेयर है।

उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के प्रकाशन तिथि से 6 माह तक प्रभावशाली होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।

3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, सीकर।
7. सचिव, नगर विकास प्रन्यास, सीकर।
8. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर।
10. प्रोग्रामर, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाने जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव—प्रथम